न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 70 / 2021

1. रामलाल
2. रामचरण पिसरान खचेरा
3. परभाती
4. बाबू पिसरान मंगल जाति जाटव निवासी रॉफ तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. महीलाल पुत्र जंगी
2. धनीराम
3. रामबाबू
4. नारायण सिंह
5. मुकेश कुमार पिसरान महीलाल जाति जाटव निवासी रॉफ तहसील पहाडी (भरतपुर)।
6. श्रीमान् तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय, तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 , 5

दिनांक :–09.07.2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 266 / 0.49, 268 / 0.27, 269 / 0.01, 270 / 0.19, 272 / 0.20, 273 / 0.10, 275 / 0.25, 277 / 0.10, 278 / 0.09, 280 / 0.16, 285 / 0.03, 292 / 0.12, 293 / 0.01, 294 / 0.35, 295 / 0.32, 297 / 0.23 बांके ग्राम रॉफ तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बुजुर्गान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1/4 हिस्सा है। आराजी मुत0 के अपने हिस्से को प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल तक काश्त करते रहे तथा पिता प्रार्थीगण के फौत हो जाने के बाद प्रार्थीगण आराजी मुत0 के अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रह है। अप्रार्थी संख्या 1 महीलाल व उसके पिता जंगी चालाक किस्म का व्यक्ति था तथा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता सीधे–साधे व्यक्ति थे इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की सादगी का नाजायज फायदा उठाते हुए एवं राजस्व कर्मचारियों से साज कर आराजी मुत0 में प्रार्थीगण के हिस्से को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम फर्जी तरीके से करा लिया है। जो खिलाफ कानून व मौका कब्जा है। जिसे प्रार्थीगण अपने हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 1 के नाम को कलमजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पोषीदा तरीके से दिनांक 07/09/2020 को उक्त आराजी मुत0 के 1/4 हिस्से का दान पत्र अपने लडके अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के हक में तस्दीक करा दिया। जो वामुकाबिले प्रार्थीगण प्रभावहीन व शून्य है। आराजी मुत0 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की बुजुर्गानों की सम्मलित खातेदारी की आराजी थी जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मुताबिक हिस्सा काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20/05/2021 को ग्राम रॉफ में ऐलानिया धमकी दी है कि आराजी मुत0 को हमने अपने नाम करा लिया है। इसलिए उक्त आराजी को हम दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करके रहेगे नाजायज कब्जा करके रहेगे । यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जर्रे नकद से नहीं हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी चंद रोजा से पाबन्द फरमाया जावें। प्राईमा फैसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चंदरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुत0 को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल न करे एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये अप्रार्थीगण ने जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है। क्योकि आराजी मुत0 के प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है इसके बाबजूद भी प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को लठ्ठ व ताकत के बल पर अवैध कब्जा करना चाहते है। आराजी मुत0 का असल खातेदार महीलाल है जिसने उक्त आराजी को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के नाम जरिये दान पत्र के कर दी है। उक्त आराजी पूर्व में पूर्वजों की सम्पत्ति है। जिसके खातेदार पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज ही थे। इस प्रकार आराजी हम अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की पैतृक सम्पत्ति है। जिससे प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है तथा आराजी पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण के खातेदारी का रकबा खसरा नम्बर 273/0.10 बांके ग्राम रॉफ में स्थित है। जिसमें अप्रार्थीगण ने झोपडी, पत्थर करीब 15 ट्राली, लडकी, बिटोरा, कूडी, और भैसों को बांधने हेतु अन्य कामों में लेते चले आ रहे है। उक्त आराजी को प्रार्थीगण लट्ठ व ताकत के बल पर अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा नाजायज करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20/05/2021 को ग्राम रॉफ में ऐलानिया धमकी देना व प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में धमकी दिनांक 07/09/2020 को देना लिखा गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का दावा दोनों अलग-अलग दिनांक में धमकी देना विधि विरूद्ध दर्ज किया गया है। प्रार्थीगण ने एक दावा उनवानी संतोष बनाम महीलाल के खिलाफ मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया जिसका मुकदमा नम्बर 35/2021 है उक्त प्रकरण में श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कामाँ में प्रार्थीगण को दिनांक 04/05/2021 को आराजी मुत0 के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित नहीं समझा गया इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रकरण धारा 10 द्वारा काबिले स्टे है। प्रार्थीगण के खिलाफ हम अप्रार्थीगण द्वारा एक हुक्म इम्तनाई दवामी का व अस्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान्जी के समक्ष मुकदमा पेश कर रखा है। जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को आराजी मुत0 की बाबत दिनांक 04/04/2021 को मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है जो आज भी जारी है। अप्रार्थीगण आराजी मुत0 के असल रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का आराजी मुत0 से किसी प्रकार कोई संबन्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी को रहनवय मुन्तकिल करने का पूरा--पूरा अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 4 फौत हो चुका है। प्रार्थना पत्र में पूर्व से ही काबिले खारिजी है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :- प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी संख्या 1 महीलाल पुत्र जंगी की है। प्रार्थीगण ने उक्त दावा एवं प्रार्थना पत्र पैतृक संपति के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के पैतृक होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे सिद्ध होता हो कि पूर्व में आराजी में प्रार्थीगण का कोई हित निहित था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के संबंध में पुराना रिकार्ड भी प्रस्तुत किया है। जिसमें विवादित आराजी पर अप्रार्थी का ही राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के संबंध में विभिन्न स्वतंत्र लोगो के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। जिसमें सभी ने आराजी को अप्रार्थी की ही बताया है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी में निहित है।

2.**सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी संख्या 1 महीलाल पुत्र जंगी की है। एवं प्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी में ही निहित है।

3.**अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).